<u>२७.०७.२०२२</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त अशोक कुमार उर्फ ठोकिया कारागार से उपस्थित आया। पत्रावली पर अभियुक्त की ओर से दिनांक ०५.०३.२० को प्रार्थनापत्र ६ब बाबत जुर्म इकबाल के सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछा गया तो अभियुक्त ने कहा ''कि हमे जुर्म स्वीकार नहीं करना है।'' अतः प्रार्थनापत्र ०५.०३.२० तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। थानाध्यक्ष चांदपुर द्वारा एस०आई० कैलाश नाथ व एस०आई० कल्याण सिंह को प्रस्तुत करने की आदेशिका जारी किए जाने पर कां०सतेन्द्र सिंह थाना चांदपुर द्वारा १७.०४.२२ को यह रिपोर्ट दी गयी है कि उपनिरीक्षक कल्याण सिंह रिटायर्ड पते पर जाकर पता किया तो घर पर नहीं मिले, अगल–बगल से नम्बर प्राप्त कर ९४५१६९२९३३ पर बात किया तो प्रदेश से बाहर होना बताया और अगली तिथि की याचना की, लेकिन थानाध्यक्ष चांदपुर द्वारा उसके पश्चात की तिथि पर साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपनिरीक्षक कैलाश नाथ के सम्बन्ध में कोई आख्या दी गयी है। अतः थानाध्यक्ष चांदपुर को आदेशित किया जाता है कि दिनांक १७.०८.२२ को प्रत्येक दशा में अवर निरीक्षक कैलाश नाथ एवं अवर निरीक्षक कल्याण सिंह को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तद्नुसार सम्मन जारी हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–१,
फतेहपुर।